Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 07/2022

Sanjeev Kumar Sanjay ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	14.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील आवेदन समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–833 दिनांक–23.09.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी तत्कालीन लिपिक जिला लोक सूचना कार्यालय में कार्यरत थे। बिहार सूचना आयोग, पटना के पत्रांक–66 दिनांक–11.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आयोग के समक्ष द्वितीय अपील वाद सं0–115327/2014–15 की सुनवाई के संबंध में उनके पत्रांक–10998 दिनांक–27.03.2018 द्वारा जो जिला जन शिकायत कोषांग, कटिहार से संबंधित था, डाक विभाग द्वारा आयोग को वापस करते हुए डाकिया द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि विघटित हो गया है, अतः वापस किया जाता है। उक्त वाद में दिनांक–17.05.2018 को माननीय मुख्य सूचना आयोग द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया। जाँचोपरांत पाया गया कि उक्त अवधि में कार्यरत अपीलार्थी द्वारा पत्र प्राप्त नहीं कर वापस लौटा दिया गया। फलतः इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इनके विरूद्ध प्रपत्र–'क' में आरोप है कि राज्य सूचना आयोग का पत्र प्राप्त न कर लौटा दिया जाना सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया कि डाकिया द्वारा अंकित टिप्पणी की लिफाफा इन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा जाँच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित किया गया। डाक विभाग द्वारा इस प्रकार के कुल–46 निबंधित पत्र माननीय आयोग को लौटाये जाने की बात कही गई है। वर्ष 2013–14 में प्राप्ति शाखा में कार्यरत लिपिक/दोषी कर्मी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है; बल्कि निर्दोष अपीलार्थी को दुर्भावनावश निलंबित कर दिया गया। जिला जन शिकायत कोषांग के तत्कालीन लिपिक द्वारा विघटित शब्द अंकित कर लौटाये जाने के लिए इन्हें दोषी नहीं ठहराया जा	

Web Copy. Not Official.

		सकता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा डाकिया राज कुमार पासवान का ब्यान दर्ज किया गया एवं अपीलार्थी के पक्षों को सुनवाई करते हुए इस आरोप को क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध दूसरा आरोप है कि इनके कार्यकाल में राज्य सूचना आयोग पत्र को प्राप्त न कर बार–बार लौटाया गया है, के संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि इनके द्वारा कोई भी पत्र वापस नहीं लौटाया गया है। यह एक मनगढ़ंत आरोप है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के जबाव से असंतुष्ट होते हुए इस आरोप को भी प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। इनके विरूद्ध तीसरा आरोप है कि जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा पृष्ठांकित जिला लोक सूचना प्रशाखा से संबंधित पत्र जिला पारगमन प्रशाखा, कटिहार के माध्यम से भेजा जाता था किन्तु इनके द्वारा उसे प्राप्त न कर वापस लौटा दिया जाता था। फलतः लोक सूचना संबंधित पत्र के त्वरित निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। इस संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि इनके कार्यकाल में ऐसा कोई भी पत्र वापस नहीं किया गया है, बल्कि जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा सूचना संबंधी आयोग के पत्र या अन्य पत्रों को R.T.I. पार्श्वांकित किया जाता था जिसे पारगमन प्रशाखा द्वारा संबंधित प्रशाखा को प्राप्त करा दिया जाता था। उनके द्वारा सूचना संबंधी पत्रों के निष्पादन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई है। इन्होंने स्पष्ट रूप से रखा कि इस मामले को सघन जाँच कराकर दोषी कर्मी के विरूद्ध नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। संचालन पदाधिकारी द्वारा यद्यपि इस आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है तथापि उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उक्त आरोप की पुष्टि की गई है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति पश्चात् जिला पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि अवरूद्ध करते हुए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होने का दंड संसूचित किया गया जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। राज्य सूचना आयोग का पत्र प्राप्त नहीं कर वापस लौटाये जाने का आरोप गलत है। जिला स्थापना प्रशाखा के ज्ञापांक–1171 दिनांक–25.10.2017 द्वारा इनका पदस्थापन जिला आपदा प्रशाखा, कटिहार में करते हुए जिला लोक सूचना प्रशाखा में प्रतिनियुक्त किया गया। जिला जन शिकायत कोषांग, कटिहार से इनका कोई संबंध नहीं था। ऐसी स्थिति में जिला जन शिकायत कोषांग को संबोधित राज्य सूचना आयोग के पत्रों को अपीलार्थी द्वारा लेने या लौटाने का प्रश्न हीं नहीं है, क्योंकि ये जन शिकायत कोषांग में कार्यरत ही नहीं थे। इस प्रकार इनके द्वारा राज्य सूचना आयोग से संबंधित पत्रों को वापस नहीं किया गया है बल्कि किसी अन्य कर्मी द्वारा इन्हें फँसाया गया है। संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित डाक कर्मी राज कुमार साह द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लिफाफे पर विघटित अंकित करने की बात नहीं कही गई है। इन्हें कार्यालय कर्मी द्वारा जानबूझकर फँसाया गया है। अपीलार्थी निर्दोष है। इस	

Web Copy Not Official.

		प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी, कटिहार ने पत्रांक–602 दिनांक–26.06.2022 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने कर्त्तव्यों का उल्लंघन किया जाता रहा है। यह मानने की बात नहीं है कि उनके संबंधित प्रशाखा को राज्य सूचना कार्यालय से कोई पत्र प्राप्त नहीं क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	हुआ। इसके पूर्व भी अपीलार्थी के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में दिये गये दंड के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय में विविध अपील सं0–80/2012 में निलंबन अवधि के वेतन भुगतान पर लगाये गये रोक को सही मानते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी को वर्ष 2022 में किशोर न्याय परिषद्, कटिहार में प्रतिनियुक्त किया गया। किन्तु तीन महीने की अल्प अवधि में भी इनके विरूद्ध प्रधान दंडाधिकारी के समक्ष अपेक्षित संचिका प्रस्तुत नहीं करने का शिकायत प्राप्त है। फलतः प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा स्पष्टीकरण की माँग करते हुए अपीलार्थी को अन्यत्र हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया। इनके कृत्यों के कारण प्रधान दंडाधिकारी को माननीय अध्यक्ष, किशोर न्याय परिषद् से क्षमा याचना करनी पड़ी जो इनके पत्रांक–418 दिनांक–18.05.2022 से स्पष्ट है। अपीलार्थी के विरूद्ध दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड सही है। अपीलार्थी कर्त्तव्यहीनता एवं कार्य के प्रति अभिरूचि नहीं रखने में अभ्यस्त है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सम्प्रति लिपिक प्रखंड कार्यालय, अमदाबाद तत्कालीन लिपिक जिला लोक सूचना, कटिहार में कार्यरत थे। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में कुल–03 आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा तीनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त के आलोक में अपीलार्थी से द्वितीय कारण–पृच्छा प्राप्त की गई। जिसमें इन्होंने अपने पूर्व के कथनों को हीं दुहराया है। अपीलार्थी द्वारा अन्य आरोपों सहित माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के कई महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित पत्रों को प्राप्त न कर वापस लौटाये जाने जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित है। समाहर्त्ता, कटिहार ने अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होकर इनके विरूद्ध दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड संसूचित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः उपर्युक्त के आलोक में समाहर्त्ता, कटिहार के आदेश	

Web Copy. Not Official.

		ज्ञापांक–833 दिनांक–23.09.2021 को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति समाहर्त्ता, कटिहार को भेजते हुए अपीलार्थी को भी उपलब्ध करावें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.